न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 66/2014

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. माधुसिंह पुत्र हरदेव		1. जिला कलेक्टर जरिये राजस्थान सरकार जिला–पाली
2. डूंगरसिंह पुत्र माधुसिंह जातियान–बावरी,निवासी–टूंकड़ा तहसील–जैतारण, जिला–पाली		2. विरेन्द्र सैनी सहायक प्रबंधक अल्ट्राटेक सि0प्रा0लि0 निम्बेड़ा तहसील–जैतारण, जिला–पाली
		3. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्ग आदेश 07 नियम 11 सीपीसी तथा सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजू:.07/03/2014

उपस्थितः. 1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 21/02/2018**

वकील मय प्रतिवादी ने एक राजस्व प्रार्थनाा पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत् विरूद्ध वादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 कम्पनी मुम्बई जरिये प्रबंधक वरिन्द्र सैनी पुत्र सरदार मोहनसिंह जाति–सैनी निवासी हाल–टूंकड़ा की ओर से पेश किया कि अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 जिसका पंजीकृत कार्यालय विंग आहुरा सेन्टर दूसरी मंजिल महाकाली कव्ज रोड अंधेरी ईस्ट मुम्बई महाराष्ट्र–400093 में स्थित हैं। जिसका पेन कोर्ड नम्बर ए.ए.ए. सी.एल.64421 हैं। जिसकी एक सीमेन्ट उत्पादन एवं लाईम स्टोन खनन ईकाई अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 यूनिट पाली सीमेन्ट वर्क्स के नाम से तहसील–जैतारण, जिला–पाली प्रस्तावित हैं। जिसे आगे कम्पनी शब्द से संबोधित किया जायेगा। कम्पनी द्वारा दिनांक 25/04/2016 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वितीय कमेटी द्वारा प्रस्ताव पारित कर कम्पनी से संबंधित कार्य क्रियान्वित के लिए जरिये पॉवर ऑफ जॉईन्ट एक्सक्यूटिव प्रेसीडेन्ट लैण्ड एक्वाईजेशन को अधिकृत किया गया कि वह आगे कम्पनी के अधिकारी को पॉवर ऑफ अर्टेनी के द्वारा अधिकृत कर सकेगें। उक्त आधार पर प्रार्थी वरिन्द्र सैनी पुत्र सरदार मोहनसिंह जाति–सैनी पॉवर ऑफ अर्टेनी द्वारा कम्पनी प्रबन्धक हैं तथा वर्तमान प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। सम्बन्धित दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। वाद पत्र के सक्षम तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने सरहद मौजा–टूंकड़ा, पटवार हल्का–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 216 रकबा 20–00 बीघा गै0मु0भाकर की भूमि पर वक्त सैटलमेन्ट के पहले से वादी के पिता समय से कब्जा होने से तथा वादी की माता का उक्त भूमि पर कब्जा होने माता के नाम धारा 91 एल0आर0एक्ट का नोटिस दिये उक्त वादीगण की पैतृक पुश्तैनी हैं तथा बतौर खातेदार नाम दर्ज करवाने बबात् राजस्व अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिये राजस्व अधिकारी ने जुर्माना लिया। उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पर बाई ऑब्जेक्शन ऑफ लॉ इससे उक्त में बतौर खातेदार का नाम दर्ज करने का अधिकारी हैं। वादीगण दिनांक 04/03/2014 को धमकी देने का कथन किया वादीगण के पास उक्त कृषि भूमि के अलावा कोई अन्य साधन नहीं हैं। वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व कब्जे काश्त में दखलन्दाजी रोके जाने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा हैं। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 644-11 बीघा 02 गै0मु0 जिसका मालिक राजस्थान सरकार थी तथा गै0मु0 भाकर खनिज बहुल्य क्षैत्र होने से नियमानुसार राजस्थान सरकार ने प्रतिवादी संख्या 02 जो कि वर्तमान में ग्राम-बलाड़ा, तहसील-जैतारण क्षैत्र में सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित किया जा रहा हैं। जिनके शर्तो के तहत् पट्टे की संविदा का निष्पादन करके 50 वर्षीय लीजडीड एम.एल.नम्बर 29/99 दिनांक 19/03/2015 को प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में संविदा का पंजीयन कर खनन कार्य करने हेतु निष्पादित की तथा मौके खनिज विभाग ने उक्त भूमि चिन्हित कर कब्जा दिया। राजस्व राशि भी प्रतिवादी संख्या 02 ने राजस्थान सरकार को जमा करवा दी तथा प्रतिवादी संख्या 03 ने प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में म्यूटेशन संख्या 1314 दिनांक 14/06/2015 को स्वीकार कर लीज राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी में दर्ज की। उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 02 का कब्जा हैं उक्त भूमि गै0मु0 भाकर प्रतिवादी संख्या 02 को आवंटित हो गई हैं। उक्त आवंटन को जब तक वादीगण निरस्त नहीं करवा देते। तब तक वादीगण को प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध कोई वाद हेतुक भी पैदा नहीं होता हैं। वादीगण वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में न तो खातेदार हैं न ही उसका कबजा हैं एवं न ही वाद पत्र पेश करने का कोई लोकस स्टेन्डाई हैं। वादीगण द्वारा इस वाद पत्र के जरिये कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

वकील वादी ने जबाब पेश किया हैं कि पद संख्या 01 में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार किया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने जबाब दावा में उक्त भूमि राज्य सरकार की होना बताया हैं। विवादित भूमि के वाद ग्रस्त रहते किसी को विवादित भूमि ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं। वादी द्वारा अपने कब्जे बाबत् सम्पूर्ण दस्तावेज राजस्व अधिकारियों स्वयं द्वारा दिये गये जो पेश हैं। वक्त सैटलमेन्ट से वादी का कब्जा हैं। घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का था। हरदेव पुत्र गिरधारी के समय से काबिज हैं। विवादित भूमि को आवंटन नहीं कर सकते। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

वकुलाय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण इस आराजी खसरा नम्बर 216 रकबा 12-00 बीघा, खसरा नम्बर 249 रकबा 4-00 बीघा, खसरा नम्बर 267 की रकबा 2-00 बीघा तथा वादी संख्या 02 की खसरा नम्बर 216 रकबा 8-00 बीघा कुल रकबा 26-00 बीघा किस्म गै0मु0 भाकर, भाली में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। उक्त खसरा नम्बर सरकारी खाते में दर्ज जिसकी किस्म गै.मु. भाकर हैं। वादीगण के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट0 के तहत् कार्यवाही की गई थी। उन्हें उस विवादित भूमि से बेदखल किया था। उक्त विवादित भूमि खनिज बाहुल्य क्षेत्र व सरकारी खाते मे दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या दो को 50 वर्षीय लीजडीड नं. एम.एल. नं. 29/99

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

दिनांक 19.03.2015 को पंजीयन कर खनन कार्य हेतु निष्पादित की हैं। प्रतिवादी संख्या 02 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार करना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उक्त विवेचन से प्रतिवादी संख्या 02 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाता हैं। वाद को खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 21/02/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner